



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4630]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4630]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

**का.आ. 5852(अ).**—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स थालसेमिया एंड सिक्ल सेल सोसायटी, (पैन: AAATT4038K) नामक संगठन को निर्धारण वर्ष 2018-19 और इससे आगे की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े “वैज्ञानिक अनुसंधान संघ” की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः—

- (i) अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ का एक मात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा।
- (ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण, में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयकर अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा, ऐसे दान का उपयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और उपयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठनः—

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 84/2018/फा. सं. 203/27/2017-आ.क.नि.-II]

रोहित गर्ग, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2018

**S.O. 5852(E).**—It is hereby notified for general information that the organization **M/s. Thalassemia and Sickle Cell Society** (PAN:- AAATT4038K) has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), **from Assessment year 2018-2019 onwards** in the category of '**Scientific Research Association**', subject to the following conditions, namely:—

- (i) The sole objective of the approved 'Scientific Research Association' shall be to undertake scientific research;
- (ii) The approved organization shall carry out scientific research by itself;
- (iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;
- (iv) The approved organization shall maintain a **separate statement of donations** received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:—

- (a) fails to maintain **separate books of accounts** referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules.

[Notification No. 84/2018/F. No. 203/27/2017/ITA-II]

ROHIT GARG, Director